संख्या-सा-3-1871/दस-2010-301(09)/2003 टी०सी०

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2010

विषय :- अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2- वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग-पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

--2/-

ग्नक -'ड'

संख्या--सा--3-- 1118 / दस--2011--301(09)/2003टी.सी.

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग--3 लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 2011

विषय:- अधिसूचना संख्या--सा--3--379/दस--2005--301(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या--सा--3--379/ दस--2005 --301(9)/ 2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त--पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नव नियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2-- शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त--पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में संवारत थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न--भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3-- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण अधोलिखित दिशा--निर्देशों के अनुसार किया जाय--

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारें जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने

जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार/ पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तर प्रदेश के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह नई पेंशन योजना से निकासी कर ले।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हों अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक–01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1118(1)/दस–2011, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
8- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
9- जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
10-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस आशय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी पाँच हजार प्रतियां शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।